

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-5/अ0प्र0-01-11/2025

1886 (24)

/पटना, दिनांक 17.2.25

प्रेषक,

कुमार अनिल सिन्हा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सहायक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषय:- बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के अन्तर्गत योजना का लाभ देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के कार्यरत/सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं को ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 योजना का लाभ दिया जाना है।

अतः अनुरोध है कि ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ देय हो, तो विहित प्रपत्र में आवेदन एवं पूर्व में उक्त योजना का लाभ तथा प्रोन्नति दी गयी है, तो उस अधिसूचना की प्रति भी अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-11/2025 1886 (24) /पटना, दिनांक

17.2.25

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

सोसिओपीओ / एमएरोसोसिओपीओ के निमित्त विहित प्रपत्र

| क्रमांक | नाम / गृह जिला | जन्म तिथि / सेवाविवृति की तिथि | प्रथम योगदान की तिथि एवं नियुक्ति का पद | सामुहिक / स्थायीकरण की तिथि | सोसिओ के पद पर प्रोन्नति की तिथि | परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि एवं स्थिति | प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (12 वर्ष) | द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (24 वर्ष ) | प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (10 वर्ष ) | द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (20 वर्ष ) | तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (30 वर्ष) | सेवा इतिहास | अव्युक्ति |
|---------|----------------|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|-------------|-----------|
| 1       |                |                                |   |                             |                                  |                                       |  |   |  |  |   |             |           |
| 1       |                |                                |   |                             |                                  |                                       |  |   |  |  |   |             |           |

नियंत्री पदाधिकारी

सहायक अभियंता

सुनील कुमार

21  
104